244

संख्याः–1747 / xx-1/12–5(15) / 2013

प्रेषक,

जे. पी. जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः– 18 सितम्बर, 2013

विषयः–नई मॉग के अन्तर्गत आय–व्ययक में की गई व्यवस्था के अनुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या डी.जी.–छः–604 / 2012 दिनांक 15 जुलाई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–2014 में नई मॉग के अन्तर्गत आय–व्ययक में की गई व्यवस्थानुसार, राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ के लिए वचनबद्ध एवं अवचनबद्ध मदों में आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु मानक मदवार **कुल रूपये 66 लाख (रूपये छासठ लाख मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183 / XXVII(1) / 2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि विभागवार पृथक अलोटमेंट आई. डी. के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से **ऑनलाईन अवमुक्त** कर दी गयी है। आवश्यक धनराशि अहारण / व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

3– वचनबद्ध मदों यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर / जलप्रभार, किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी आदि मदों की धनराशि के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्यय–भार सृजित किया जायेगा।

4– अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता अधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी तथा मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी

और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का शासन की बिना सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है तथा पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा–151 के अन्तर्गत परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय।

7– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– शासनादेश संख्या 968/XX-1/2013–5(15)2013 दिनांक 22 अप्रैल 2013 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 2055–पुलिस–00, 800–अन्य व्यय, आयोजनेत्तर, 20–राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ के विभिन्न मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–93/NP/XXVII(5)/2013 दिनांक 09 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोट्र्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
2. निदेशक कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–5
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
अनु सचिव